कार्यालय जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना अम्बिकापुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 521 /फा.स./2019/ अम्बिकापुर दिनांक 27.04.2019

अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

------0000------

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय अम्बिकापुर अंतर्गत मैनपाट में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का इस विभाग के कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी के द्वारा दिनांक 27.04.2019 को **प्राचार्य श्री शिवानंद सिंह** की उपस्थिति में राष्ट्रीय भवन संहिता भाग – IV के अनुसार अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता संबंधित निरीक्षण किया गया । अतः निम्न शर्तों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1. सभी अग्नि सुरक्षा एवं निकास द्वारा हमेशा अच्छी एवं चालू हालत में रखा जाए, इसमें किसी प्रकार की चूक के लिये प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण –पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जायेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाये एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहेर निकलने का मॉक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाये।
4. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जाये।
5. संबंधित प्रबंधन/मकान मालिक/कब्जाधारी प्रति वर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे , जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।

जारी दिनांक 27.04.2019

Digitally signed by my pc
Date: 2021.06.23 14:05:55 +05:30
Reason: reason
Location: location

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

- 77 -D:\Fire Ambikapur\Letters Fire\Fire NOC Letters.doc

Scanned with CamScanner